12/3/22 माननीय वादी अधीक्षक के निरस्त
तथा आवेदन पर पेश हुए
वादीगण की ओर से विद्वान
अधिवक्ता वादीगण अधीक्षक द्वारा
पेश किया। वादीगण
वाद को आगे नहीं चलाना
चाहते हैं अतः वादीगण का
विद्वान अधिवक्ता स्वीकार
किया जाता है वादीगण को
मुक्त वाद खारिज किया जाता
है माननीय मिश्रा मुंसिफ
देवरिया आदेश के बाद हस्ताक्षर
वादी माननीय अधीक्षक दीवानी
देवरिया

उपायुक्त अधिकारी, देवरिया